राजभाषा

सूचना काअधिकारअधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) के संदर्भ में आवश्यक सूचना निम्नानुसार है:

मद	विवरण	स्थिति
(i)	संगठन का विवरण, इसके कार्य और कर्तव्य।	पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल का राजभाषा विभाग अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी का नामांकन प्रधान कार्यालय द्वारा किया जाता है। राजभाषा के कार्यों की देखरेख मंडल में मं.रे.प्र, अपर मंडल रेल प्रबंधक(चल स्टॉक) व अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी के मार्गदर्शन में वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा की जाती है।
(ii)	विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।	**<u>कार्य :-</u>** **राजभाषा विभाग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं:-** क) **अनुवाद :** इसके अंतर्गत धारा 3(3) के अंतर्गत आनेवाले विभिन्न दस्तावेज एवं अन्य सामग्रियों को हिंदी-अंग्रेजी में जारी करना शामिल है। ख) **प्रशिक्षण :** इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए जिनको हिंदी में प्रवीणता अथवा कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं हैं, हिंदी प्रशिक्षण की व्यवस्था करके उन्हें राजभाषा में काम करने के लिए सक्षम बनाना है। ग) **कार्यान्वयन :** इसके अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों को राजभाषा में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देना और हिंदी का प्रचार-प्रसार करना एवं उसकी अभिवृद्धि सुनिश्चित करना शामिल है। **अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों का अनुवाद कार्य:** समय-समय पर मंडल की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त पत्रों का अनुवाद हिंदी/अंग्रेजी में किया जाना। **प्रशिक्षण:-** राजभाषा हिंदी में अपना दैनिक कामकाज करने हेतु अधिकारियों / कर्मचारियों को सक्षम बनाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा टेबल ट्रेनिंग देना, कंप्यूटरों में यूनिकोड इनेबल करना तथा कंप्यूटर पर हिंदी का अनुप्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से नियमित तौर पर हिंदी कुंजीयन की जानकारी देना । **बैठकों का आयोजन : -** मंडल पर राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा हेतु मंडल/करशेड/स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की तिमाही बैठकों का नियामत रूप से आयोजन करना। **निरीक्षण :-** समय-समय पर वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा तथा अन्य अधिकारियों द्वारा राजभाषा हिंदी की प्रगति का निरीक्षण करना। **कार्यशाला :** अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना दैनिक कार्य अधिक से अधिक हिंदी में करने हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से नियमित रूप से कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

(III)	पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।	मंडल स्तर पर अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी राजभाषा विभाग के प्रधान होते हैं एवं उनकी सहायता वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी द्वारा की जाती है। मंडल में वरिष्ठ / कनिष्ठ अनुवादक अपने अधिकारियों की सहायता करते हैं।
(IV)	कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड ।	गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) एवं रेलवे बार्ड राजभाषा निदेशालय तथा प्रधान कार्यालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप कार्यों का निष्पादन किया जाता है।
(V)	नियम,विनियम, निर्देश, नियमावलीऔर रिकॉर्ड, जो जिसके पास हो या जिसके नियंत्रण में हो या जिन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग किया जाता हो।	गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) एवं रेलवे बार्ड राजभाषा निदेशालय तथा प्रधान कार्यालय द्वारा समय-समय पर नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली जारी किए जाते हैं।
(VI)	दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो जिसके पास हो या जिसके नियंत्रण में हो।	नीति पत्रों की श्रेणियों का विवरण रेलवे बोर्ड, प्रधान कार्यालय एवं गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
(VII)	नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण।	जनपरामर्श वाणिज्य विभाग द्वारा रेल सलाहकार समिति के माध्यम से कवर की जाती हैं।
(VIII)	दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें या इस प्रकार के कार्यवृत्त जनता के लिए खुलें हैं , का विवरण	जनपरामर्श वाणिज्य विभाग द्वारा रेल सलाहकार समिति के माध्यम से कवर की जाती हैं।
(IX)	अधिकारियों और कर्मचारियों की डाइरेक्टरी।	यहाँ क्लिक करें https://wr.indianrailways.gov.in/cris//uploads/files/1680690900183-Designation%20Office%20MTNL%20-HQ%20Directory%20-%20General.pdf
(X)	इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है ।	कार्मिक विभाग से संबंधित ।
(XI)	इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण ।	राजभाषा के प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक बजट लेखा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है।
(XII)	सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण सहित ।	मंडल का राजभाषा विभाग किसी भी प्रकार के सब्सिडी कार्यक्रम से निपटने के लिए अधिकृत नहीं है।

(XIII)	इसके द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का विवरण ।	राजभाषा विभाग से संबंधित नहीं ।
(XIV)	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्योरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।	पश्चिम रेलवे की वेबसाइट https://indianrailways.gov.in/ पर ऐसी अन्य बहुत जानकारी उपलब्ध हैं- जैसे निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, रोजगार अधिसूचना, महत्वपूर्ण समाचार आदि।
(XV)	जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटे भी शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है ।	पुस्तकालय मूल रूप से रेल कर्मचारियों के उपयोग के लिए हैं।
(XVI)	जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण ।	नाम: श्री सुरेश चन्द्र पद: वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य जनसूचना अधिकारी पता : राजभाषा विभाग, मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय, मुंबई सेंट्रल मंडल, पश्चिम रेलवे , मुंबई-400008 फोन नं. 44011 (रेलवे), ई-मेल : srawr1990@gmail.com **अपीलीय अधिकारी** श्री शील भद्र अपर मंडल रेल प्रबंधक इन्फ्रा-2 फोन नं.(090) 44544 & (022)-67644544 ई-मेल : adrmnsmctwr@gmail.com
(XVII)	ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है, और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करें ।	अन्य सभी जानकारियां अधिकारिक वेब-साइट https://indianrailways.gov.in/ पर उपलब्ध है ।

मंडल रेल प्रबंधक

अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं
अपर मंडल रेल प्रबंधक(चल स्टॉक)

वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी